निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)
प्रकरण संख्या 35/2020 (रसद अपील)
श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री नंदकिशोर, प्राधिकार धारक उचित मूल्य दुकान संख्या 588 बी, मानसरोवर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम दिनांक 22.07.2020 प्रकरण संख्या 531/2020 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 588 बी जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर तथा गेहूँ में बाजार मूल्य की वसूली हेतु नोटिस जारी किये जाने बाबत।

उपस्थित :-

1. श्री कैलाश दत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12.04.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रीमती सुशीला देवी प्राधिकार धारक उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 588 बी जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 22.07.2020 प्रकरण संख्या 531/2020 से प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं गेहूँ की बाजार मूल्य की वसूली हेतु नोटिस जारी करने के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 588 बी जयपुर शहर की प्राधिकारधारक है, जिसे अपीलार्थीया के पति स्व. श्री नंदकिशोर के स्वर्गवास के बाद अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। अपीलार्थीयों राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतदपश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। दिनांक 03.04.2020 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र अग्रिम ओदशों तक निलम्बित किये जाने के आदेश पारित किया तथा अपीलार्थीया को एक कारण

कलक्टर
जयपुर

बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसमें निम्न अनियमितताओं का अंकन किया गया कि "आप द्वारा राशन कार्ड संख्या 119002906282 में माह फरवरी और मार्च 2020 का गेहूँ उपभोक्ता प्रेम देवी को नही दिया गया।" जिसमें अपीलार्थीया ने दिनांक 07.04.2020 को प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया गया कि माह फरवरी व मार्च 2020 को गेहूँ मेरे द्वारा ओ.टी.पी. के माध्यम से दिया गया है जिसकी राशनकार्ड में भी प्रविष्टि दर्ज है जिसकी प्रति सलग्न की गई है। अपीलार्थीया ने उक्त प्रत्युत्तर के साथ राशनकार्ड की प्रति एवं उपभोक्ता द्वारा लिखित बयान की प्रति भी प्रस्तुत की है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर ने उक्त प्रकरण में ना तो कोई जांच की, ना कोई निणर्य पारित किया गया। अपीलार्थीया को बदनियती से दिनांक 25.04.2020 को जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर ने पुनः नोटिस जारी किया, जिसमे कथन किया गया कि नोटिस का प्रत्युत्तर अपीलार्थीया ने स्वयं उपस्थित ना होकर अन्य व्यक्ति के माध्यम से पेश किया है। उक्त नोटिस प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलार्थीया के बयान दिनांक 27.04.2020 को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपीलार्थीया सुशीला देवी ने कथन किया कि उसके पति का स्वर्गवास 11 वर्ष पूर्व हो चुका है, विधवा होने के कारण उसका भतीजा प्रवीण उक्त उचित मूल्य दुकान को चलाने में उसकी सहायता करता हैं। दिनांक 12.05.2020 को श्री अरविन्द सिंह प्रवर्तन निरीक्षक ने जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर को अपनी रिपोर्ट पेश की तथा रिपोर्ट के साथ 5 दस्तावेज प्रस्तुत किये। दिनांक 02.06.2020 को अपीलार्थिया ने जिला रसद अधिकारी के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसका प्राधिकार पत्र जो निलम्बित कर रखा था, को पुनः चालू करने हेतु व मामले का निस्तारण करने हेतु प्रस्तुत किया। जिला रसद अधिकारी ने उक्त प्रकरण में कोई निर्णय पारित न कर पुनः दिनांक 12.06.2020 को उपस्थित होने के लिये अपीलार्थीया को एक कारण बताओं नोटिस दिनांक 27.05.2020 को जारी किया जिसमें (1) लीलाराम भगतानी (2) श्रीमती सरजू देवी (3) राजेन्द्र कुमार (4) कैलाश चन्द शर्मा (5) श्रीमती कृष्णा शर्मा के राशनकार्डो का अन्य व्यक्ति के आधार कार्डो पर गेहूँ वितरण करने का आक्षेप अंकित किया। अपीलार्थिया ने दिनांक 12.06.2020 को उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने का समय चाहा। उसके बाद कोरोना महामारी एवं लॉक डाउन के चलते अपीलार्थीया को आगे की कोई तारीख पेशी नहीं दी गई तथा अधिनस्थ न्यायालय ने इकतरफा में दिनांक 22.07.2020 को अपना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीया एक विधवा महिला है तथा खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 23.05.1988 एवं 07.05.2001 द्वारा विधवा महिला को अपनी सहायता के लिये किसी निकट रिश्तेदार को दुकान के संचालन में सहयोग प्राप्त करने के अधिकार है। जिसके संबंध में ए.आई.आर. 2015 (एन.ओ.सी.) एस बब्जन बनाम आन्ध्र प्रदेश, 2010 (2) ई.एफ.आर. 592 उषा देवी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. की व्याख्या की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थिया को जो कारण बताओं नोटिस जारी किया गया उसमें अपीलार्थिया की उचित मूल्य दुकान का व्यापार स्थल बदले जाने के संबंध में कोई आरोप नहीं है, लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में दिनांक 12.05.2020 मे स्पष्ट किया है कि मकान नम्बर 69 / 392 हीरा पथ मानसरोवर के संबंध में जो पत्र प्रवर्तन निरीक्षक शैफाली दत्ता द्वारा जिला रसद अधिकारी जयपुर को भेजा गया से उक्त दुकान घोषित स्थान पर कार्यरत नहीं होना पाई गई। अपीलार्थिया को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने पहला कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.04.2020 को दिया गया जिसका जवाब अपीलार्थिया ने दिनांक 07.04.20020 को दस्तावेजों के साथ पेश किया। इन दस्तावेजो को गलत मानने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि स्वयं श्रीमती प्रेम देवी उपभोक्ता ने गेहूँ प्राप्त करने के संबंध में अपने लिखित

कलक्टर
यपुर

कथन प्रस्तुत किये है। अपीलार्थिया को पुनः दिनांक 27.05.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस के साथ श्री अरविन्द सिले प्रवर्तन निरीक्षक की ना तो कोई जांच रिपोर्ट सलंग्न की, ना किसी राशनकार्ड या आधारकार्ड या पोस मशीन की डिटेल तथा गवाहान के बयान आदि की प्रतियां अपीलार्थीया को भेजी गई, जिससे अपीलार्थीया अपना जवाब पेश नहीं कर सकी और उसे न्याय प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में 2012 (2) ई.एफ.आर. 95 राम कृपाल यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य की व्याख्या की गई। दिनांक 27.05.2020 को जो नोटिस अपीलार्थीया को दिया गया उस नोटिस में प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का उल्लेख है, लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच नहीं की जिसमें राशनकार्ड धारकों के राशनकार्ड जब्त नहीं किये, ना ही उनकी प्रतिया ली, राशनकार्ड फर्जी या डूपलीकेट होने की जांच नहीं की, आधार कार्डो की जांच नहीं की, राशनकार्डधारियों के बयान नहीं लिये, किसी किस उचित मूल्य दुकान से राशनकार्ड धारकों द्वारा गेहूँ प्राप्त किया का अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया और ना ही ओ.टी.पी' के संबंध में कोई जांच की गई, पोस मशीन के विवरण क प्रतियॉं नहीं दी, श्रीमती कृष्णा शर्मा की मृत्यु की सूचना जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को दी गई के संबंध मे भी कोई जांच नहीं की गई, जिला रसद अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में 4 उचित मूल्य दुकानों का उल्लेख है यानि दुकान संख्या 584–ए, 583–बी, 588–बी एवं 672–ए का उल्लेख है लेकिन अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने सभी उचित मूल्यों की दुकानों का एक ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का जवाब दस्तावेजो की नकले दिये बिना अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं था। लेकिन अजय पाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 2018 एन.ओ.सी. 551 के मामले में जो निर्णय पारित किया है उसमें निम्न निर्देश दिये गये है, जिसकी पालना अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व करना आवश्यक था। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थिया को दिनांक 27.05.2020 को जो नोटिस जारी किया गया एवं 22.07.2020 को इकतरफा निर्णय पारित किया गया है उसमें अपीलार्थिया द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी शर्त व किस प्रकार उल्लघंन किया गया का विवरण अंकित नहीं किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थिया से गेहूं की राशी भी जमा कराली गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थिया को विस्तृत रूप से सुनवाई का मौका नही दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत आवश्यक था। उक्त कथन के संबंध में ए.आई.आर. 2018 झारखण्ड 137, सीताराम पहाडिया बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड की व्याख्या की गई। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अनेक मामलो में मात्र गेहूँ की राशि 27/–रूपये किलो के हिसाब से जमा कराने के आदेश दिये गये है तथा उनका प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया गया। लेकिन अपीलार्थीया के मामले में जो निर्णय अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने पारित किया है वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थिया को सर्वप्रथम दिनांक 14.09.2020 को मिली। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने एक तरफा आदेश की कोई सूचना अपीलार्थिया को नहीं दी गई। इस संबंध में ए.आई.आर. 2015 सुप्रीम कोर्ट 3411 स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम आर.के.बी.के. लि॰ व अन्य की व्याख्या की गई। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

कलक्टर
जयपुर

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उचित मूल्य दुकान संख्या 588–बी, प्राधिकार पत्र धारक सुशीला देवी उम्र 72 वर्ष द्वारा स्वयं दुकान का संचालन नहीं किया जाता है । सुशीला देवी की उम्र काफी अधिक होने एवं अनपढ होने के कारण भी दुकान संचालन में सक्षम है। परिवादीगण कालूराम शर्मा, कैलाश चन्द शर्मा, लीलाराम, भगतानी, योगेश सैनी पुत्र सूरज देवी एवं राजेन्द्र कुमार शर्मा ने भी अपने परिवादों में दुकान संख्या 588 बी, व 584–ए, का प्रवीण अग्रवाल नाम व्यक्ति द्वारा ठेके पर चलाने एवं विविध अनियमितायें किये जाने का आरोप सही पाये जाने से एवं परिवादीगण के राशनकार्डो मे फर्जी आधारकार्ड लिंक करके कुल 2513 किलोग्राम गेहूं का अवैद्य रूप से आहरण कर निजी हित में उपयोजन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी की समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।
6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।
7. अपीलार्थी पर राशन कार्ड संख्या 119002906285, 119002800512, 119002801915, 119002802177, 119002800522 एवं 119002800601 में परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति का आधारकार्ड को लिंक करके गेहूं की निकासी की जा कर अनियमितता किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशनकार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। उक्त राशनकार्डो पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्व कर पाये है। राशनकार्डो पर अन्य के आधार कार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नहीं की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये। इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधारकार्ड से दो बार गेहूं उठाये गये है ? यह भी जांच का विषय है, की क्या आधारकार्ड डीलर द्वारा लिंक किये गये है या किसी ई मित्र केन्द्र द्वारा। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमितता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2020 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।
9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबंधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के

बयान लेकर संबंधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जांच करें। आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है या नहीं एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 7 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली
11. बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।
12. निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

12/4/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर